फैक्स / डाक

पत्र संख्या–ए / मु0–44–02 / 2016........................... /

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में

जिला पदाधिकारी
पटना।

पटना, दिनांक–...........................2016

विषय :– **Death Reference No. 1 of 14** बिहार राज्य एवं अन्य तथा क्रिमिनल अपील (डी0बी0 सं0–612 / 14) एवं अन्य सदृश्य वादों में दिनांक–04.11.2015 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में गर्दनीबाग (शास्त्रीनगर) थाना कांड सं0–868 / 2002 दिनांक–29.12.2002 (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा कांड के हस्तांतरण के पश्चात नया नम्बर आर0सी0 नं0 5 **(S)/2003**) के मृतकों 1. स्व0 विकास रंजन पे0–जगदीश प्रसाद गुप्ता, सा0–मनभावन स्वीट्स, आशियाना मोड़, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना एवं 2. स्व0 प्रशांत सिंह, पे0–लक्ष्मण सिंह, सा0–जलालपुर सिटी, रामजयपाल पथ, फ्लैट नं0–601, ब्लॉक–बी / 2, गोला रोड के सामने, थाना–रूपसपुर, जिला–पटना के प्रति **Parents** को मुआवजा की राशि दस–दस लाख रूपये यानी कुल राशि 20,00,000 / – (बीस लाख) रूपये मात्र के भुगतान हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–1186 दिनांक–08.02.2016 के क्रम में आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, पटना को पूर्व में आबंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, पटना को वर्त्तमान में आबंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, पटना को कुल आबंटित राशि।
रू0 7,41,000 / – (सात लाख एकतालीस हजार रूपये) मात्र	रू0 20,00,000 / – (बीस लाख रूपये) मात्र	रू0 27,41,000 / – (सताईस लाख एकतालीस हजार रूपये) मात्र

महाशय,

उपरोक्त आबंटित राशि रू0 20,00,000 / – (बीस लाख) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, मांग संख्या–22–उप शीर्ष–0011–मानवता के दृष्टिकोण से राहत (विपत्र कोड संख्या N2235602000011) के अन्तर्गत विषय शीर्ष–31 02 अनुग्रह अनुदान मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, पटना की होगी।

3. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पटना होंगे।

4. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायगी।

5.. जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा मृतकों के Parents को उक्त राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट / चेक के माध्यम से किया जाएगा।

कृ0पृ0उ0

545 Suresh Sec-A

6. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा मृतकों के Parents को मुआवजा भुगतान हेतु किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नही किया जाएगा।

7. जिला पदाधिकारी, पटना का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि की व्यय विवरणी, उपयोगिता प्रमाण पत्र गृह (विशेष) विभाग,. बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध करा देगे।

8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति के पूर्व गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रुप से कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–02/2016........................../ पटना, दिनांक–...............2016

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–02/2016........................../ पटना, दिनांक–...............2016

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–02/2016........................../ पटना, दिनांक–...............2016

प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, बुर्द्ध मार्ग, पटना–800001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–02/2016........................../ पटना, दिनांक–...............2016

प्रतिलिपिः–उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा 'ए' गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–ए/मु0–44–02/2016–1248/ पटना, दिनांक–09/2/2016

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 09.02.16
सरकार के विशेष सचिव

546 Suresh Sec-A